

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 21/06/22

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु रुपये 654.753 लाख (रुपये छः करोड़ चौवन लाख पचहत्तर हजार तीन सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृति संख्या- 18/28.10.2021; (Online AA- 1220/ 02.11.2021) एवं 22/15.12.2021; (Online AA- 1570/ 17.12.2021)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

(लाख रु. में)							
क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट उपबंध	पूर्व में निर्गत आवंटन	वर्तमान आवंटन	वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल आवंटन
1	2	3	4				5
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 50S47020010120000545	9500.00	2154.004	604.343	2758.347
2.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोग/ 20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 50S47020079620000545	9500.00	4006.880	50.410	4057.290
कुल :-					6160.884	654.753	6815.637
आवंटित राशि - रुपये छः करोड़ चौवन लाख पचहत्तर हजार तीन सौ मात्र।							

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2022-23 के बजट शीर्ष- 47020010120000545 के बजट उपबंध राशि रु. 9500.00 लाख (रुपये पंचानबे करोड़) तथा बजट शीर्ष- 47020079620000545 के बजट उपबंध राशि रु. 9500.00 लाख (रुपये पंचानबे करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक-19.09.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. झारखण्ड वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2023 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, **Online** उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन **Hard Copy** में **Access No** तथा **Revoke No/Surrender No** (संबंधित **LOC No** सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका **Access no** परिशिष्ट-1 एवं 2 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 44

रॉची, दिनांक :- 21/06/22

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्डू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/गढ़वा/गिरिडीह/लातेहार सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 44

रॉची, दिनांक :- 21/06/22

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख-I एवं II, जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय
लघु शीर्ष-101-सतही जल,
उप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्मोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,
विरस्तु शीर्ष-05-निर्माण
संशोधित बजट उपबन्ध (2022-23) - रुपये 9500.00 लाख (रुपये पंचानवे करोड़) मात्र
विपन्न कोड- 50S47020010120000545

क्र०	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकराशि राशि	मार्च 2022 तक व्यय	वर्ष 2022-23 में			योजना पर कुल अवन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रस्ता	राशि	Online प्रस्ता			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	लघु सिंचाई	गढ़वा	गढ़वा	सुगही मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	18/2021-22	41.9570	1220 / 02.11.2021	29.088	10.818	0.000	18.270	18.270	29.088	29475	
2	प्रमदल, गढ़वा	रंका	रंका	मलुही बांध का जीर्णोद्धार	dt 28.10.2021	20.5410		20.253	7.532	0.000	12.721	12.721	20.253		
3	(GRHMIR001)	गढ़वा	बराड़	विरहा नाला मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		146.5190		145.543	21.650	0.000	50.000	50.000	71.650		
				योग :-		209.0170		194.884	40.000	0.000	80.991	80.991	120.991		
				ग्राम टोलाटांड में विद्युत आहर का जीर्णोद्धार		67.20200		50.362	0.000	0.000	30.516	30.516	30.516		
4				देवरी		84.54953		66.976	0.000	0.000	20.000	20.000	20.000		
5				देवरी		39.06736		24.995	0.000	0.000	2.524	2.524	2.524		
6				धनवार		64.62340		44.799	0.000	0.000	20.360	20.360	20.360		
7				धनवार		124.50140		86.275	0.000	0.000	13.070	13.070	13.070		
8				धनवार		47.38300		29.192	0.000	0.000	17.688	17.688	17.688		
9				बनोवर		94.05300		61.878	0.000	0.000	37.488	37.488	37.488		
10				बिरनी		50.95900		32.207	0.000	0.000	16.260	16.260	16.260		
11				जमुआ		155.76824		105.069	0.000	0.000	42.444	42.444	42.444		
12				जमुआ		193.02200		154.761	0.000	0.000	93.780	93.780	93.780		
13				जमुआ		45.89600		29.047	0.000	0.000	17.598	17.598	17.598		
14				जमुआ		59.40700		43.480	0.000	0.000	20.000	20.000	20.000		
15				जमुआ		80.67296		78.869	0.000	0.000	47.790	47.790	47.790		
16				जमुआ		60.79400		41.087	0.000	0.000	24.894	24.894	24.894		
17				जमुआ		60.90650		54.217	0.000	0.000	32.850	32.850	32.850		
18				जमुआ		91.30100		89.954	0.000	0.000	49.000	49.000	49.000		
19				जमुआ		1320.1064		993.168	0.000	0.000	486.262	486.262	486.262		
20				जमुआ		83.89300		61.212	0.000	0.000	37.090	37.090	37.090		
21				जमुआ		1403.99939		1054.380	0.000	0.000	523.352	523.352	523.352		
22				जमुआ		1.613.0164		1,249.264	40.000	0.000	604.343	604.343	644.343		
कुल योग :-					22/2021-22		1370 /								
कुल योग :-					dt 15.12.2021		17.12.2021								
सकल योग :-															

आवृत्ति राशि - रुपये छः करोड़ चार लाख चौतीस हजार तीन सौ मात्र।

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रघुम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

44

दिनांक 21/06/22

का अनुलनक

परिशिष्ट -2

विभागीय पत्रांक
 मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय
 लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
 उप शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्मोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,
 विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण
 संशोधित बजट उपबन्ध (2022-23) - रुपये 9500.00 लाख (रुपये पंचानवे करोड़) मात्र
 विपत्र कोड- 50S47020079620000545

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकराशित राशि	मार्च 2022 तक व्यय	वर्ष 2022-23 में			योजना पर कुल आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार (LTRMIR001)	लातेहार	लातेहार	उदयपुरा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	18/2021-22 dt 28.10.2021	84.154	1220 / 02.11.2021	66.050	50.000	0.000	16.050	16.050	66.050	29477	
2		लातेहार	लातेहार	खुटगड़ी बांध का जीर्णोद्धार		44.931		44.360	10.000	0.000	34.360	34.360	44.360		
योग :-						129.085		110.410	60.000	0.000	50.410	50.410	110.410		

आवंटित राशि - रुपये पचास लाख इकतालीस हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
 उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
 संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रभात कुमार)
 सचिव